प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 485/2023

अनवान : –

1. राजवीर पुत्र भादर जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भादरराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
2. रणवीर सिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. निर्मला पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. सुषमा पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय **दिनांक: 16.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 269/237 की कुल 9.9400 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 143/311 की कुल 1.3530 हैक्ट0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के व मृतक ज्यानादेवी पत्नी भादर के ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मोजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 207/187 की कुल 11. 1290 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 6 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादी का हक व हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई । वादी अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहने है जो कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हक हिस्सा की भूमि परिवार के मोजिज व्यक्तियों के समक्ष अपना जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:46 IST
Reason: SelfAttested

भी हक व हिस्सा था वह अपने भाईयो वादी व प्रतिवादी सं 2 के हक में ब0 हि0 ब0 परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 6 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा. है बाद हक त्याग रोही मोजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 269/237 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 9.9400 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 143/311 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 1.3530 हे0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है एव किकराली कि ज़माबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 207/187 के कुल खसरा 3 का कुल क्षे0 11.1290 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम़ राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा ढंढेला बारानी सम्वत 2073–76 खाता स0 269/237, 143/311 ईएक्सपी–1 व 2, रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खताा स0 207/187 ईएक्सपी–3 मृत्यु प्रमाण पत्र ज्यानी देवी ईएक्सपी–4, वारिसा प्रमाण पत्र ईएक्सपी–5, शपथ पत्र बाबत सदस्य ईएक्सपी–6 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रांवली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:46 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 269/237 की कुल 9.9400 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 143/311 की कुल 1.3530 हैक्ट0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के व मृतक ज्यानादेवी पत्नी भादर के ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मोजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 207/187 की कुल 11.1290 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 269/237 की कुल 9.9400 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता सं0 143/311 की कुल 1.3530 हे0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व मृतक ज्यानादेवी पत्नी भादरराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त दोनो खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 207/187 की कुल 11.1290 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 यथावत रखी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीलन जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भोगराना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 485/2023

अनवान : –

1. राजवीर पुत्र भादर जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भादरराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
2. रणवीर सिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. निर्मला पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. सुषमा पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 485 सन 2023 निर्णय दिनांक 16.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 269/237 की कुल 9.9400 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता सं0 143/311 की कुल 1.3530 हे0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व मृतक ज्यानादेवी पत्नी भादरराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त दोनो खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 207/187 की कुल 11.1290 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 यथावत रखी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भोगराना